सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. : 2023 / 11 दर्ज दिनांक : 08.02.2023

1. ताराचन्द पुत्र गुरूदयालाराम जाति नायक निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थी–

<u>बनाम</u>

1. रतनसिंह पुत्र मोहबसिंह जाति राजपूत निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. दुलेसिंह पुत्र मोहबसिंह निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–अप्रार्थीगण–

4. विजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरलाल जाति नायक निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू
5. कमला देवी पुत्री गुरूदयालाराम जाति नायक निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू
6. छोटी पुत्री गुरूदयालाराम जाति नायक निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू
7. धापूदेवी पुत्री गुरूदयालाराम जाति नायक निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू
8. बीरबल पुत्र गुरूदयालाराम जाति नायक निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू
9. राजकुमार पुत्र गुरूदयालाराम जाति नायक निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू
10. श्यामलाल पुत्र गुरूदयालाराम जाति नायक निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू
11. सुगना देवी पुत्री गुरूदयालराम जाति नायक निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू
12. सुन्दर पुत्री गुरूदयालाराम जाति नायक निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू
13. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिसाऊ जिला झुन्झुनूं (राज.) जरिये शाखा प्रबंधक
14. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा चूरू तहसील व जिला चूरू जरिये शाखा प्रबंधक

–गौण अप्रार्थीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:–श्री सुरेन्द्र राहड़
अप्रार्थीगण:–श्री दीपक कुमार स्वामी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:45 IST
Reason: SelfAttested

...ना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए
...काश्तकारी अधि.–1955

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

ताराचन्द बनाम रतनसिंह आदि
2023 / 11
निर्णय दिनांकः–06.04.2026

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण संख्या 05 से 12 ग्राम बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू के स्थायी निवासी है। गौण अप्रार्थीगण संख्या 04 ग्राम आसलू स्टेशन तहसील व जिला चूरू का स्थायी निवासी है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण एक ही कुटुम्ब व परिवार के व्यक्ति है। जिनकी संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 404 / 341 तादादी 2.5546 हैक्ट. यानि 10.02 बिस्वा वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चरू में स्थित चली आ रहा है।
2. प्रार्थी व गौण अप्रार्थी संख्या 04 ता 12 की संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 404 / 341 में आवागमन का सदैव से रास्ता ग्राम बालरासर तंवरान से पूर्वी तरफ रतनसिंह की ढ़ाणी को जाने वाला पगडंडी रास्ता खसरा नम्बर 444 / 148, 442 / 145, 443 / 145 की उत्तरी सींव के चिपते चिपते पूर्वी तरफ प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 404 / 341 में आने जाने का रहा है, इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण संख्या 04 ता 12 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 404 / 341 में आवागमन का नहीं रहा है।
3. खेत खसरा संख्या 444 / 148, 442 / 145 व 443 / 145 के खातेदारों द्वारा प्रार्थी को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे खेत में आने जाने का रास्ता बंद करेंगे व प्रार्थी के सदैव से रहे रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे है, इसलिये प्रार्थी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 404 / 341 में आवागमन के लिये सदैव से चालू रहे, रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कटवाकर रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाये इसलिये यह प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है।
4. प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 से कई बार मिला व मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में खेत खसरा संख्या 444 / 148, 442 / 145 व 443 / 145 की उत्तरी सींव के चिपते चिपते पूर्वी तरफ प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 404 / 341 में आवागमन हेतु राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के लिये कहा तो अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 हां हूं करते रहे, आखिरकार दिनांक 02.02.2023 को स्पष्ट रूप से इंकार हो गये। प्रार्थी खसरा संख्या 404 / 341 का रिकोर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार होने से इस प्रार्थना–पत्र के प्रति आधार प्राप्त है, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा की गयी, इंकारी दिनांक से वाद कारण प्राप्त है।
5. प्रार्थी व गौण अप्रार्थी संख्या 04 ता 12 की संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 404 / 341 वाके रोही बालरासर तंवरान में जाने के लिये पुराने समय से ही ग्राम बालरासर तंवरान से पूर्वी तरफ पगडंडी पूर्वक खेत खसरा संख्या 444 / 148, 442 / 145 व 443 / 145 के उत्तरी सींव के चिपते चिपते पूर्वी तरफ प्रार्थी के खेत में जाने का रास्ता सदामत से ही चला आ रहा है। जो नजरी नक्शा के मुताबिक है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण संख्या 04 ता 12 उक्त रास्ते से ट्रेक्टर, ट्रोली जीप, पिकअप एवं अन्य साधनों से अपने पशुओं के लिये हरा चारा एवं अन्य सामान लाते व ले जाते है तथा खेत में से अनाज निकालकर इसी रास्ते से लाते हैं, उक्त रास्ते से [illegible] न करने के कारण मौके पर उक्त रास्ता सदामत से कायम चला आ रहा [illegible] ते के अलावा प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के खेत में जाने का आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है यही एक मात्र रास्ता है, नजरी नक्शा एनेक्चर "ए" में जो लाल स्याही से अंकित है व प्रार्थना–पत्र का भाग व जूज माना जावे व समझा जाकर पढ़ा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:45 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

6. वादगत रास्ता का तमाम राजस्व अभिलेख राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू के पावर व पजेशन में है तथा प्रार्थना—पत्र स्वीकार होने की सूरत में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकन भी तहसीलदार चूरू के माध्यम से होना है, इसलिये प्रार्थना—पत्र में राजस्थान सरकार को पक्षकार अप्रार्थी संख्या 03 बनाया गया है। प्रार्थना—पत्र में राजस्थान सरकार के हितों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं डालने वाला अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिये धारा 50 जाप्ता दीवानी के नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
7. प्रार्थना—पत्र में गौण अप्रार्थी संख्या 13 व 14 को फोरमल पक्षकार बनाया गया है, गौण अप्रार्थी संख्या 13 व 14 से कोई प्रार्थना—पत्र में अनुतोष नहीं मांगा गया है।
8. पक्षकारान का निवास स्थान व रास्ते का विवाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा संख्या 404/341 तादादी 2.5548 हैक्ट. वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू में आवगमन हेतु रास्ता जो ग्राम बालरासर तंवरान से पूर्वी तरफ खेतों में जाने वाला पगडंडी रास्ता खेत खसरा संख्या 444/148, 442/145, 443/145 के उत्तरी सींव के चिपते चिपते पूर्वी तरफ 2 गंठा का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन व नक्शा एनेक्चर "ए" में तरमीम किया जावें।

9. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया अप्रार्थी सं. 1 ता 2 व 4 ता 12 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक कुमार स्वामी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना—पत्र पेश किया अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 व 8 ता 12 के जवाब प्रार्थना—पत्र के अनुसार प्रार्थना—पत्र की मद संख्या 1 ता 5 सही व स्वीकार हैं प्रार्थना—पत्र की मद संख्या 6, 7, 8 कानूनी होने से जवाब की आवश्कृता नहीं है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 व 8 ता 12 जवाब पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष खसरा संख्या 404/341 तादादी 2.5546 हैक्ट. वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील चूरू में आवागमन हेतु रास्ता जो बालरासर तंवरान से पूर्वी तरफ खेतों में जाने वाला पगडंडी रास्ता खेत खसरा संख्या 444/148, 442/145, 443/145 के उत्तरी सींव के चिपते चिपते पूर्वी तरफ 2 गंठा का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन व नक्शा एनेक्चर ए में तरमीम किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति एतराज नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना—पत्र की मद संख्या 1 ता 5 सही व स्वीकार हैं प्रार्थना—पत्र की मद संख्या 6, 7, 8 कानूनी होने से जवाब की आवश्कता नहीं है। विशेष कथनः खसरा संख्या 404/341 तादादी 2.5546 हैक्टत्र वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू में आवागमन हेतु रास्ता जो ग्राम बालरासर तंवरान से पूर्वी तरफ खेतों में जाने वाला पगडंडी रास्ता खेत खसरा संख्या 444/148, 442/145, 443/145 उत्तरी सींव के चिपते चिपते पूर्वी तरफ 2 गंठा का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन व नक्शा एनेक्चर ए में तरमीम किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। तहसीलदार चूरू से जांच रिपार्ट मंगवाई गई जो निम्नानुसार है—

1. रोही ग्राम बालरासर तंवरान के खसरा [illegible] 404/341 में जाने के रास्ते को वादी के खसरा संख्या 444/148, 442/145, 443/145 की उत्तरी सींव के चिपता हुआ बताया है जबकि मौके संलग्न [illegible] से बी तक ही उत्तरी सींव के पास—पास जाता है। [illegible] 404/341 में जाने के लिए प्रतिवादी के ख.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:45 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

444/140, 442/145, 443/145 में से डायरेक्ट कोई सदामत रास्ता नहीं जाता है मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी मौजूद रहे एवं मौजूदगी में प्रार्थी व अप्रार्थीण ने राजीनामा, रजामंदी से उक्त वादगत रास्ता संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बिन्दु सं. ए से बी तक का ही राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु सहमत हुए हैं। नजरी नक्शा संलग्न है।

2. प्रभावित खातेदार की अराजी में से प्रस्तावित रास्ताको नजरी नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता सुविधा का मामला न होकर आत्यांतिक आवश्यकता से संबंधित है।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तावित मार्ग नजरी नक्शा में स्पष्ट दर्शाया गया है।
4. प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों की सहमति द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है।
5. उक्त रास्ता प्रकरण में क्षतिपूर्ति क्लेम शून्य पाया गया। प्रतिवादी द्वारा इस बाबत कोई क्लेम नहीं किया गया है।

10. प्रार्थी द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह निवेदन किया गया है कि उनके खसरा संख्या 404/341, तादादी 2.5546 हेक्टेयर, रोही बालरासर तंवरान, तहसील व जिला चूरू में जाने के लिए पूर्वी दिशा से पगडंडी मार्ग खसरा संख्या 444/148, 442/145, 443/145 के उत्तरी सिव के पास से 2 गठा चौड़ा मार्ग राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाए। प्रार्थी और गौण अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता/काबिज कृषि भूमि खसरा संख्या 404/341 है। पुराने समय से यही मार्ग, खसरा संख्या 444/148, 442/145, 443/145 के उत्तरी सिव के पास से होकर प्रार्थी की भूमि तक जाता है। मार्ग से ट्रैक्टर, ट्रॉली, जीप, पिकअप, पशुओं का चारा और अनाज ले जाया जाता है। प्रार्थी खसरा संख्या 404/341 का रिकॉर्डेड काबिज काश्तकार होने के कारण मार्ग दर्ज करने का अधिकार रखता है।

अप्रार्थी संख्या 4–12 ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1–5 स्वीकार की। मद संख्या 6–8 कानूनी होने से जवाब नहीं दिया। अप्रार्थी संख्या 1–2 ने मार्ग अंकन पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित मार्ग बिंदु ए से बी तक खसरा संख्या 69 एवं खसरा 444/148, 442/145 के उत्तरी सिव के पास है। मार्ग का उपयोग केवल आवागमन हेतु है, सुविधा हेतु नहीं। प्रार्थी और अप्रार्थी दोनों की सहमति से मार्ग का नक्शा तैयार किया गया। मार्ग अंकन में कोई क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं है।

प्रार्थी और अप्रार्थी की सहमति स्पष्ट रूप से मौजूद है। मार्ग के अंकन से किसी पक्ष के अधिकार पर कोई हानि या प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। मार्ग राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होना चाहिए ताकि भविष्य में विवाद से बचा जा सके। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 70(1) के अनुसार "If the parties mutually agree on the amount of compensation, the sub divistion officer shall determine the amount of compensation as per the mutually agreement."

धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का मूल उद्देश्य खातेदार को उसकी भूमि तक निकटतम, सुगम एवं न्युनतम क्षति वाला रास्ता उपलब्ध कराना है, न कि अधिक दूरी वाला या अनावश्यक रूप से [illegible] खातेदार की भूमि पर अधिक भार डालना। यह भी स्थापित विधिक सिद्धांत है कि ज[illegible]क [illegible]धिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हों, तो कम दूरी, कम क्षतिप्रद एवं अ[illegible] [illegible] जानी चाहिए। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:45 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

आदेश

धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि खसरा संख्या 404/341, तादादी 2.5546 हेक्टेयर, रोही बालरासर तंवरान, तहसील व जिला चूरू में आवागमन हेतु तहसीलदार चूरू द्वारा प्रस्तावित मार्ग खसरा संख्या 69 एवं खसरा संख्या 444/148, 442/145 के उत्तरी सिव के पास से 2 गठा चौड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाए। तहसीलदार चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शा भविष्य में निर्णय का भाग रहेगा तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उक्त कार्यवाही एवं उसके परिणामस्वरूप बनने वाले नवीन खसरा बैंक के पूर्ववर्ती अधिकारों, बंधक अथवा चार्ज के अधीन रहेगा। संबंधित बैंक को विधि अनुसार अपना बकाया वसूल करने एवं विधिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी चूरू (चूरू)
उप खण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:45 IST
Reason: SelfAttested